

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 272]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 31 अगस्त 2020—भाद्र 9, शक 1942

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ ए-3-08-2020-1-पांच (28)

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2020

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

## संशोधन

इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये दिनांक 23 मार्च, 2020 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

उक्त नियमों में,

1. नियम 8 में, उप-नियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“(4क) आवेदक, उप-नियम (4) के अधीन आवेदन प्रस्तुत करते समय, 01-04-2020 से, रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने के लिए आधार संख्या का अधिप्रमाणन कराएगा।”।

2. नियम 9 में, उप-नियम (1) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कॉलन स्थापित किया जाए तथा उसके पश्चात् निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए, अर्थात् :-

“परंतु जहां धारा 25 की उप-धारा (6घ) के अधीन अधिसूचित व्यक्तियों से भिन्न कोई व्यक्ति, नियम 8 के उप-नियम (4क) में यथा विनिर्दिष्ट आधार संख्या का अधिप्रमाणन कराने में असमर्थ रहता है, वहां रजिस्ट्रीकरण, आवेदन की तारीख से साठ दिन के अपश्चात्, नियम 25 में उपबंधित रीति में केवल उक्त व्यक्ति की उपस्थिति में कारबार के मूल स्थान का भौतिक सत्यापन करने के पश्चात् ही दिया जाएगा और ऐसे मामलों में उप-नियम (5) के उपबंध लागू नहीं होंगे।”।

3. नियम 25 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“25. “कतिपय मामलों में कारबार परिसर का भौतिक सत्यापन.— जहां समुचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने के पूर्व आधार अधिप्रमाणन में असफल होने के कारण या रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने के पश्चात् किसी अन्य कारण से किसी व्यक्ति के कारबार के स्थान का भौतिक सत्यापन अपेक्षित है वहां वह उक्त व्यक्ति की उपस्थिति में, कारबार के स्थान का ऐसा सत्यापन करा सकेगा और फोटो सहित अन्य दस्तावेजों के साथ सत्यापन रिपोर्ट, ऐसे सत्यापन की तारीख से आगामी पन्द्रह कार्य दिवसों की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी-30 में सामान्य पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।”।

4. नियम 43 में उप-नियम (1) में,—

(1) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए अर्थात् :-

“(ग) ‘क’ के रूप में द्योतक ऐसे पूंजी माल के सम्बन्ध में, जो खंड (क) और (ख) के अधीन नहीं आते हैं, आगत कर की रकम, बीजक में परिलक्षित कर की राशि होने पर, इलैक्ट्रानिक जमा खाते में सीधा जमा की जाएगी और ऐसे माल की उपयोगी जीवन विधिमान्यता, ऐसे माल के लिए बीजक की तारीख से पांच वर्ष तक विस्तारित होगी :

परंतु जहां कोई पूंजी माल पूर्व में खंड (क) के अधीन आए हैं तत्पश्चात् इस खण्ड के अधीन आते हैं, ‘क’ के रूप में द्योतक ऐसे पूंजी माल के संबंध में आगत कर इस शर्त के अधीन रहते हुए इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में जमा किया जाएगा, कि ऐसे पूंजी माल के दौरान अवधि के लिए अपात्र प्रत्यय मानते हुए ‘टी’ के रूप में द्योतक खण्ड (फ) के अंतर्गत आते थे प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए पांच प्रतिशत अंकों की दर से गणना की जाएगी और कर अवधि जिसमें ऐसे प्रत्यय का दावा किया गया है, के निर्गत कर दायित्व को जोड़ा जाएगा:

परंतु यह और कि रकम ‘टी’ केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और समाकलित कर के आगत कर प्रत्यय के लिए पृथक् से गणना की जाएगी और प्ररूप जी एस टी आर - 3 ख में घोषित किया जाएगा।

**स्पष्टीकरण :** खण्ड (क) के अधीन घोषित पूंजी माल की वस्तु की प्राप्ति पर, धारा 18 की उप-धारा (4) के उपबंधों को आकर्षित नहीं करेगा; जो इस खण्ड के अधीन तत्पश्चात् आए हों।”।

(2) खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“(घ) ‘क’ की रकम का संकलित प्रत्यय सामान्य पूंजी माल के संबंध में खंड (ग) के अधीन इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाता जमा किया गया, जिसका कर अवधि के दौरान उपयोगी जीवन शेष है, जो कि ‘टी’ के रूप में निरूपित किया जाता है, ऐसे पूंजी माल के संबंध में सामान्य प्रत्यय होगा:

परंतु जहां कोई पूंजी माल पूर्व में खण्ड (ख) के अधीन ही आए हों, वह खण्ड (ग) के अधीन तत्पश्चात् आते हैं, ऐसे पूंजी माल/मालों के संबंध में आगत कर प्रत्यय दावा ‘टी’ समाकलित मूल्य पर जोड़ा जाएगा;

(3) खंड (ड.) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतः स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“स्पष्टीकरण—संदेह का निवारण करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी पूंजी माल का उपयोगी जीवन बीजक की तारीख से पांच वर्षों तक विचार किया जाएगा और उक्त सूत्र उक्त पूंजी माल के उपयोगी जीवन के दौरान लागू होगा।”;

(4) खण्ड (च) का लोप किया जाए ।

5. नियम 80 में, उप-नियम (3) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कॉलन स्थापित किया जाए तथा उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात् :-

“परन्तु प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति जिसका वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान संकलित व्यापारावर्त पांच करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त होगा, धारा 35 की उप-धारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट रूप से लेखा संपरीक्षा करानी होगी और उसे वार्षिक लेखा संपरीक्षा तथा समाधान विवरण की एक प्रति देनी होगी, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्ररूप जी एस टी आर 9 ग में विधिवत् अभिप्रमाणित हो, सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में चाहे सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत करेगा।”।

6. नियम 86 में, उप-नियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“(क) जहां पंजीकृत व्यक्ति ने दोषपूर्ण तरीके से संदत्त या आधिक्य में संदत्त कर के रूप में किसी संदत्त रकम के प्रतिदाय का दावा किया है, जिसके लिए विकलन इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते से किया गया है, उक्त रकम, यदि ग्राह्य पायी जाती है, प्ररूप जी एस टी पी. एम. टी. -03 में उल्लिखित आदेश द्वारा उचित अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता में पुनः जमा की जाएगी।”।

7. नियम 89 में, उप-नियम (4) में, खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

“(ग) मालों का शून्य-दर पूर्ति का व्यापारावर्त से अभिप्रेत है, बंधपत्र या उपक्रम पत्र या कीमत के अधीन कर के भुगतान के बिना सुसंगत अवधि के दौरान किए गए मालों की शून्य दर पूर्ति की कीमत है, जो प्रदायकर्ता द्वारा यथा घोषित वही या समान रूप से रखे गए प्रदायकर्ता द्वारा घरेलू मालों की पूर्ति के कीमत का 1.5 गुना है, जो उप-नियम (4क) या (4ख) या दोनों के अधीन वापसी के लिए दावा किया गया है, के संबंध में पूर्तियों से भिन्न व्यापारावर्त से कम है।”।

8. नियम 92 में,-

- (1) उप-नियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

“(1क) जहां, शून्य दर पूर्ति या समझा गया निर्यात पर संदत्त कर की वापसी से भिन्न कर के रूप में संदत्त किसी रकम की वापसी को आवेदन की परीक्षा के लिए उचित अधिकारी संतुष्ट हो जाता है, तो अधिनियम की धारा 54 की उप-धारा (5) के अधीन की गई वापसी शोध्य है और आवेदक को देय है, वह नकदी में संदत्त किए जाने के लिए वापसी की रकम को स्वीकृत करते हुए प्ररूप आर एफ डी-06 में एक आदेश देगा,

अधिनियम के अधीन या किसी विद्यमान विधि के अधीन किसी बकाया मांग के विरुद्ध समायोजित रकम में उल्लिखित सुसंगत अवधि के लिए उन्मोचित कर दायित्व के लिए कुल संदत्त रकम के विरुद्ध नकदी में विकलित रकम के लिए आनुपातिक और प्रतिदेय रकम का अतिशेष और शेष रकम के लिए, जो ऐसे कर के भुगतान के लिए इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाता से जमा किया गया है, उचित अधिकारी इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाता में आगत कर प्रत्यय के रूप में उक्त रकम को पुनः जमा करते हुए प्ररूप जी एस टी पी एम टी -03 में जारी करेगा।”।

(2) उप-नियम (4) में, शब्द, कोष्ठक और अंक “उप-नियम (1) के अधीन प्रतिदेय रकम” के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर “या उप-नियम (1क)” अंतःस्थापित किए जाएं।

(3) उप-नियम (5) में, शब्द कोष्ठक और अंक “उप-नियम (1) के अधीन प्रतिदेय रकम” के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर “या उप-नियम (1क)” अंतःस्थापित किए जाएं।

9. नियम 96 में, उप-नियम (10) में, खंड (ख) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

“स्पष्टीकरण: इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए, उसमें उल्लिखित अधिसूचनाओं के अभिलाभ केवल उपभोग किया गया माना नहीं जाएगा, जहां पंजीकृत व्यक्ति आगत पर समाकलित माल और सेवा कर और प्रतिकर उपकर संदत्त किया है और उक्त अधिसूचना के अधीन केवल आधारभूत सीमा शुल्क (बी सी डी) छूट प्राप्त करेगा।”।

10. नियम 96 क के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-  
“96 ख. मालों के निर्यात पर अनुपयोजित आगत कर प्रत्यय या समेकित कर संदाय की वापसी की वसूली जहां निर्यात की प्रक्रिया नहीं की जाती है.-

(1) जहां मालों के निर्यात या मालों के निर्यात पर एकीकृत कर संदाय के खाते पर आगत कर प्रत्यय का अनुपयोग की वापसी किसी आवेदक को संदत्त की गई है, किंतु ऐसे निर्यात मालों के संबंध में विक्रय आगम संपूर्ण रूप से या उसके भाग में वसूली नहीं की गयी है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के अधीन अनुज्ञेय अवधि के भीतर भारत में, ऐसी अवधि के किसी विस्तार को सम्मिलित करते हुए, वह व्यक्ति जिसको प्रतिदाय किया गया है ऐसे प्रतिदाय की गई रकम को जमा करेगा, विक्रय प्रक्रिया की वसूली न किए जाने के विस्तार अवधि आती है, तो उक्त अवधि के अवसान के तीस दिनों के भीतर लागू ब्याज के साथ, यथास्थिति, विस्तारित अवधि आती है, जिसमें वह रकम का प्रतिदाय किया गया, अधिनियम की धारा 73 या 74 के उपबंधों के अनुसार वसूली की जाएगी, यथास्थिति, धारा 50 के अधीन ब्याज सहित त्रुटिपूर्ण वापसी की वसूली के लिए लागू है।

परंतु जहां विक्रय आगम या उसका कोई भाग ऐसे निर्यात मालों के संबंध में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के अधीन अनुज्ञेय अवधि के भीतर आवेदक द्वारा वसूली नहीं की गई है, किंतु भारतीय रिजर्व बैंक के गुणागुणों पर विक्रय आगम की वसूली की आवश्यकता को अपलिखित करता है, आवेदक को संदरा वसूली की वापसी नहीं होगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन उससे वापसी की राशि वसूल कर लिए जाने के पश्चात् जहां आवेदक द्वारा विक्रय के आगम पूर्ण या आंशिक रूप से वसूल किए जाते हैं और आवेदक विक्रय के आगम की वसूली की तारीख से तीन माह की कालावधि के भीतर ऐसी वसूली के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत करता है तो इस प्रकार वसूल की गई रकम समुचित अधिकारी द्वारा विक्रय के आगम की वसूली की सीमा तक आवेदक को वापस कर दी जाएगी, परंतु विक्रय के आगम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा अनुज्ञात ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर वसूल किए गए हों।”।

11.नियम 141 में, उप-नियम (2) में, शब्द “आयुक्त” के स्थान पर, शब्द “उचित अधिकारी” स्थापित किए जाएं।

12.उक्त नियमों में, प्ररूप जी एस टी आर एफ टी-01 में, नियम 89 के उप-नियम (2) के खण्ड (छ) के अधीन घोषणा के पश्चात्, निम्नलिखित वचनबंध अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

वचनबंध	
मैं, एतद्द्वारा वचन देता हूं कि आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16 के परंतुक के साथ पठित एसजीएसटी नियम, 2017 की धारा 96 ख के अनुसार विदेश विनियमन की विप्रेषणादेश की प्राप्ति न होने की दशा में ब्याज के साथ स्वीकृत वापसी की रकम सरकार को जमा करूंगा।	
हस्ताक्षर :	
नाम :	
	पदनाम / प्रास्थिति।”।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रत्नाकर झा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2020

क्र. एफ-ए-3-08-2020-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ-ए-3-08-2020-1-पांच (28), दिनांक 31 अगस्त 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रत्नाकर झा, उपसचिव.

No. F-A-3-08-2020-1-V(28)

Bhopal, the 31st August 2020

In exercise of the powers conferred by section 164 of the Madhya Pradesh Goods and Services Taxes Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Goods and Services Taxes Rules, 2017, namely :-

### AMENDMENTS

Save as otherwise provided in these rules, they shall be deemed to have come in force on 23<sup>rd</sup> day of March, 2020.

In the said rules,-

1. In rule 8, after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely :-

“(4A) The applicant shall while submitting an application under sub-rule (4), with effect from 01-04-2020, undergo authentication of aadhaar number for grant of registration.”.

2. In rule 9, in sub-rule (1), for the full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely :-

“Provided that where a person, other than those notified under sub-section (6D) of section 25, fails to undergo authentication of aadhaar number as specified in sub-rule (4A) of rule 8, then the registration shall be granted only after physical verification of the principle place of business in the presence of the said person, not later than sixty days from the date of application, in the manner provided under rule 25 and the provisions of sub-rule (5) shall not be applicable in such cases.”.

3. For rule 25, the following rule shall be substituted, namely :-

**“25. Physical verification of business premises in certain cases.-** Where the proper officer is satisfied that the physical

verification of the place of business of a person is required due to failure of aadhaar authentication before the grant of registration, or due to any other reason after the grant of registration, he may get such verification of the place of business, in the presence of the said person, done and the verification report along with the other documents, including photograph, shall be uploaded in FORM GST REG-30 on the common portal within a period of fifteen working days following the date of such verification.”.

4. In rule 43, in sub-rule (1), -

- (1) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely :-

“(c) the amount of input tax in respect of capital goods not covered under clauses (a) and (b), denoted as ‘A’, being the amount of tax as reflected on the invoice, shall credit directly to the electronic credit ledger and the validity of the useful life of such goods shall extend upto five years from the date of the invoice for such goods:

Provided that where any capital goods earlier covered under clause (a) is subsequently covered under this clause, input tax in respect of such capital goods denoted as ‘A’ shall be credited to the electronic credit ledger subject to the condition that the ineligible credit attributable to the period during which such capital goods were covered by clause (a), denoted as ‘T’, shall be calculated at the rate of five percentage points for every quarter or part thereof and added to the output tax liability of the tax period in which such credit is claimed:



Provided further that the amount 'T' shall be computed separately for input tax credit of Central tax, State tax, Union territory tax and Integrated tax and declared in FORM GSTR-3B.

**Explanation:** An item of capital goods declared under clause (a) on its receipt shall not attract the provisions of sub-section (4) of section 18, it is subsequently covered under this clause.”.

(2) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely :-

“(d) the aggregate of the amount of 'A' credited to the electronic credit ledger under clause (c) in respect of common capital goods whose useful life remains during the tax period, to be denoted as 'T' shall be the common credit in respect of such capital goods :

Provided that where any capital goods earlier covered under clause (b) are subsequently covered under clause (c), the input tax credit claimed in respect of such capital good(s) shall be added to arrive at the aggregate value 'T';

(3) in clause (e), the following explanation shall be inserted, namely:-

**Explanation:** For the removal of doubt, it is clarified that useful life of any capital goods shall be considered as five years from the date of invoice and the said formula shall be applicable during the useful life of the said capital goods.”;

(4) clause (f) shall be omitted.

5. In rule 80, in sub-rule (3), for the full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely :-

“Provided that every registered person whose aggregate turnover during the financial year 2018-2019 exceeds five crore rupees shall get his accounts audited as specified under sub-section (5) of section 35 and he shall furnish a copy of audited annual accounts and a reconciliation statement, duly certified in FORM GSTR-9C for the financial year 2018-2019, electronically through the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.”.

6. In rule 86, after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely :-

“(4A) Where a registered person has claimed refund of any amount paid as tax wrongly paid or paid in excess for which debit has been made from the electronic credit ledger, the said amount, if found admissible, shall be re-credited to the electronic credit ledger by the proper officer by an order made in FORM GST PMT-03.”.

7. In rule 89, in sub-rule (4), for clause (C), the following clause shall be substituted, namely :-

“(C) ‘Turnover of zero-rated supply of goods’ means the value of zero-rated supply of goods made during the relevant period without payment of tax under bond or letter of undertaking or the value which is 1.5 times the value of like goods domestically supplied by the same or, similarly placed, supplier, as declared by the supplier, whichever is less, other

than the turnover of supplies in respect of which refund is claimed under sub-rules (4A) or (4B) or both;”.

8. In rule 92,-

(1) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely :-

“(1A) Where, upon examination of the application of refund of any amount paid as tax other than the refund of tax paid on zero-rated supplies or deemed export, the proper officer is satisfied that a refund under sub-section (5) of section 54 of the Act is due and payable to the applicant, he shall make an order in FORM RFD-06 sanctioning the amount of refund to be paid, in cash, proportionate to the amount debited in cash against the total amount paid for discharging tax liability for the relevant period, mentioning therein the amount adjusted against any outstanding demand under the Act or under any existing law and the balance amount refundable and for the remaining amount which has been debited from the electronic credit ledger for making payment of such tax, the proper officer shall issue FORM GST PMT-03 re-crediting the said amount as Input Tax Credit in electronic credit ledger.”.

(2) in sub-rule (4), after the words, brackets and figure “amount refundable under sub-rule (1)”, the words, brackets, figure and letter “or sub-rule (1A)” shall be inserted.

(3) in sub-rule (5), after the words, brackets and figure “amount refundable under sub-rule (1)”, the words, figures and letter “or sub-rule (1A)” shall be inserted.

9. In rule 96, in sub-rule (10), in clause (b), the following explanation shall be inserted, namely :-

**“Explanation:** For the purpose of this sub-rule, the benefit of the notifications mentioned therein shall not be considered to have been availed only where the registered person has paid Integrated Goods and Services Tax and Compensation Cess on inputs and has availed exemption of only Basic Customs Duty (BCD) under the said notifications.”.

10. After rule 96A, the following rule shall be inserted, namely :-

**“96B. Recovery of refund of unutilised input tax credit or integrated tax paid on export of goods where export proceeds not realised.-** (1) Where any refund of unutilised input tax credit on account of export of goods or of integrated tax paid on export of goods has been paid to an applicant but the sale proceeds in respect of such export goods have not been realised, in full or in part, in India within the period allowed under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), including any extension of such period, the person to whom the refund has been made shall deposit the amount so refunded, to the extent of non-realisation of sale proceeds, along with applicable interest within thirty days of the expiry of the said period or, as the case may be, extended period, failing which the amount refund shall be recovered in accordance with the provisions of section 73 or 74 of the Act as the case may be, as is applicable for recovery of erroneous refund, along with interest under section 50:

Provided that where sale proceeds, or any part thereof, in respect of such export goods are not realised by the applicant within the period allowed under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), but the Reserve Bank of

India writes off the requirement of realisation of sale proceeds on merits, the refund paid to the applicant shall not be recovered.

(2) Where the sale proceeds are realised by the applicant, in full or part, after the amount of refund has been recovered from him under sub-rule (1) and the applicant produces evidence about such realisation within a period of three months from the date of realisation of sale proceeds, the amount so recovered shall be refunded by the proper officer to the applicant to the extent of realisation of sale proceeds, provided the sale proceeds have been realised within such extended period as permitted by the reserve Bank of India.”.

11. In rule 141, in sub-rule (2), for the word “Commissioner”, the words “proper officer” shall be substituted.
12. In the said rules, in FORM GST RFD-01, after the declaration under clause (g) of sub-rule (2) of rule 89, the following undertaking shall be inserted, namely :-

**“UNDERTAKING**

I, hereby, undertake to deposit to the Government, the amount of refund sanctioned along with interest in case of non-receipt of foreign exchange remittances as per the proviso to section 16 of the IGST Act, 2017 read with rule 96B of the SGST Rules, 2017.

Signature:

Name:

Designation/Status.”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RATNAKAR JHA, Dy. Secy.